<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>03.09.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद उप-आंचलिक कार्यालय ने टोल प्लाजा घोटाला मामले में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.09.2026 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-एनसीआर में स्थित 14 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिर्ज़ापुर के अतरैला टोल प्लाज़ा व देश भर के विभिन्न अन्य टोल प्लाज़ा पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से टोल वसूली के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जनवरी 2025 के दौरान, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाज़ा पर धोखाधड़ी का खुलासा किया जहाँ फास्टैग में अपर्याप्त या शून्य बैलेंस वाले वाहनों से टोल वसूल करने के लिए एक अनाधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा था। उक्त अवैध एप्लीकेशन फर्जी रसीदें बनाकर एनएचएआई के आधिकारिक तंत्र से वसूली छिपाता था, जिससे वैध टोल रिपोर्टिंग संभव नहीं हो पाती थी और जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण को राजस्व हानि हुई।

ईडी की जांच में पता चला है कि बिना फास्टैग वाले वाहनों से टोल वसूलने के लिए 'मोबडाटा' और 'एनी' नामक अवैध एप्लीकेशन तैयार किए गए थे और इस अवैध टोल वसूली की निगरानी के लिए पोर्टल भी संचालित किए जा रहे थे। आरोपितों से बरामद डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच से यह खुलासा हुआ कि इस प्रणाली का उपयोग लगभग 100 टोल प्लाजा पर किया गया था, और डिजिटल रिकॉर्ड से करोड़ों की अवैध टोल वसूली दर्ज की गई है। आगे की जांच में एनएचएआई द्वारा नियुक्त बिचौलियों और टोल संग्रह एजेंसियों की अनधिकृत एप्लीकेशन्स के इस्तेमाल में संलिप्तता सामने आई है, और टोल प्लाज़ा तथा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के एक व्यापक नेटवर्क की पहचान की गई है जिनकी आगे की जांच की जानी है।

तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 1.03 करोड़ रुपये नकद, बही खाते, वित्तीय अभिलेख, बैंक संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि, साथ ही टोल-वार वसूली और रिपोर्टिंग, गैर-फास्टैग वसूली, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन, संदिग्ध सम्प्रेषण आदि से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए तथा 08 बैंक लॉकरों को फ्रीज़ किया गया है।

आगे की जांच जारी है।